राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का १३वां दिवस [संख्या ९

शनिवार, दिनांक ६ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

वित्त मन्त्री द्वारा आय व्ययक १९६५-६६ की प्रस्तुति एवं आय-व्ययक भाषण

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) :

श्रीमान्,

मैं १९६५-६६ का बजट सदन के सामने पेश कर रहा हूं ।

२. बजट पेश करने का मकसद यह है कि राज्य की माली हालत की सही तसवीर सामने आ जाय । यह तसवीर वित्त-मन्त्री सदन में रखता है। लेकिन, इसको बनाने वाले कई निमित्त और उपादान कारण होते हैं । वित्त मन्त्री एक निमित्त होता है, और उपादान होते हैं—वह जमीन जिस पर तसवीर बनाई जाती है, वह रङ्ग जो उसमें भरे जाते हैं और वह परिस्थितियां जो उसकी रचना पर असर डालती हैं ।...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सुन्दर ! बहुत सुन्दर !!

श्री बालकृष्ण कौल : आखिरी शक्ल इन्हीं सब कारणों के मिलने से बनती, संवरती और निखरती है । इसलिए, पेश्तर इसके कि मैं बजट का ब्यौरा बयान करूं, यह मुनासिब होगा कि उन उपादानों का कुछ परिचय माननीय सदस्यों को दूं, जिनका असर इस तसवीर की रचना और इसके रूप पर पड़ा है । जिन हालात में यह तसवीर बनी है, वह है मौजूदा आर्थिक और सामाजिक । साथ ही इस पर जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने की छाया है ।

३. जवाहरलाल नेहरू की मौत हमारे देश की एक तवारीखी घटना है, क्योंकि गांधी-युग के बाद का जमाना एक तरह से नेहरू युग माना जाता है । आज हमारे देश में हर क्षेत्र में जो नुमायां तरक्की की है,

(श्री बालकृष्ण कौल)

वह नेहरू की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों की देन है। इनमें सबसे बड़ा श्रेय उनकी आर्थिक नीति को है, जिसके अन्दर हमारे देश ने लोकतन्त्री ढंग से योजना-बद्ध विकास का मार्ग अपनाया है।

४. जवाहरलाल नेहरू के जाने से नेहरू-युग खत्म हुआ और नये युग की शुरुआत हो रही है।

श्री जयनारायण सलोदिया (निवाई) : वह कौन का युग है ?

कुछ माननीय सदस्य : कौल युग।

श्री बालकृष्ण कौल : ५. परिवर्तन के इस दौर में देश ने जिस बुर्दबारी और सब्र से हर उलझन का सामना किया है उससे साबित होता है कि लोकतन्त्री भावना की जड़ें काफी मजबूती से जम चुकी हैं।

५. मुल्क की आम आर्थिक हालत, एक और महत्वपूर्ण उपादान है। १९६४-६५ का बजट पेश करते वक्त मैंने बताया था कि आने वाला समय सख्त मेहनत और परेशानियों का होगा : काश यह भविष्यवाणी गलत निकलेती। मगर बद-किस्मती की बात है कि यह साल दर असल आर्थिक कठिनाइयों का रहा। बाजार में अनाज कम आने से उसके भाव चढ़ गये जिसका असर दूसरी चीजों की कीमतों पर भी पड़ा। नतीजा यह हुआ कि आमतौर पर मजूरी और वेतन की दरों में भी वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने काफी मात्रा में अनाज बरामद करने और बढ़ते हुए भावों की रोकथाम के लिए कार्यवाहियां कीं।

६: मुझे यह कहने में खुशी है कि संविधान के मुताबिक सरकारी भाषा की नीति पर अमल किया जा रहा है। साथ ही, माननीय सदस्यों को यह जानकर भी दिलचस्पी होगी कि वित्त विभाग के अफसरान ने भी, जहा-तक-हो सकता है, हिन्दी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, हालांकि उनकी मातृभाषाएं बहुत मुख्तलिफ हैं—जैसे, हिन्दी, बंगला, गुजराती, सिंधी, तमिल, पंजाबी और राजस्थान की कई बोलियां। अपने भाषण में मैंने भी आम फहम भाषा का प्रयोग किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिन्दी को नान के बीच खा लेते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : ७. इन हालात की पृष्ठभूमि पर, अब मैं कुछ उन हकीकतों का जिक्र करूंगा जिनका राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर असर हुआ है।

८. १९६३ में बारिश कम होने से अनाज और चारे की पैदावार कम हुई और राज्य के बहुत बड़े हिस्से में अकाल की सूरत पैदा हो गई। इसका सामना करने के लिए अकाल-राहत के कामों, जानवरों के लिए चारा मुहैया, पीने के पानी का इन्तजाम और दीगर बन्दोबस्त करने में, राज्य के वित्त साधनों पर बहुत भारी बोझ पड़ा। राज्य की माली हालत पर इस बोझ का कुछ असर १९६३-६४ में, और बाकी १९६४-६५ में पड़ा। अकाल-राहत

Page No 3

(श्री बालकृष्ण कौल)

के कामों पर चालू साल में कुल ४ करोड़ ७२ लाख खर्च होगा इसके अलावा, अकाल की वजह से मालगुजारी की आमद में भी करीब २ करोड़ की कमी हुई। दोनों वर्षों को मिला कर अकाल कार्यों में ६ करोड़ २८ लाख रु० खर्च हुआ। इसके मुकाबले, भारत सरकार ने सिर्फ ३ करोड़ ७४ लाख मिलने की उम्मीद है, जिसमें ३ करोड़ ४० लाख बतौर कर्ज होगा।

६. १९६४ के दौरान चीजों के भाव चढ़ने से, कम वेतन वाले कर्मचारियों के मंहगाई-भत्ते में दो बार, पांच-पांच रुपये माहवार का इज़ाफा किया गया—पहली दफा १-३-६४ से, और दूसरी बार १-८-६४ से। इसके अलावा, जयपुर शहर में रहने वाले राज्य कर्मचारियों को १-३-६४ से शहरी-भत्ता (City Compensatory Allowance) मंजूर किया गया, जिसकी दर ५ रु० से १० रुपये तक है। मंहगाई-भत्ता, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, सरकारी मकानों के किराये में रियायत, मकान-किराये के भत्ते की दर में इज़ाफा, वगैरा-वगैरा के लिए "कम वेतन वाले" (Low Paid Employee) की सीमा विस्तृत कर दी गई है। पहले ये रियायतें ३२० रु० से कम वेतन वालों को दी जाती थीं, अब ४०० रु० से कम वेतन वालों को दी जाती हैं।

१०. चालू वर्ष में अनाजों के निर्ख, ढुलाई, गोदाम, बिक्री, वगैरा-वगैरा से ताल्लुक रखने वाले कायदों व आदेशों की अमल-दरामद के लिए, खाद्य और रसद विभाग में कर्मचारियों की तादाद बढ़ानी पड़ी। अनाज के तस्कर व्यापार की रोकथाम के लिए पुलिस का अमला भी बढ़ाया गया। इन वजूहात से खर्च का दौर और भी बढ़ा।

११. भारत सरकार ने यह मान लिया है कि राजस्थान नहर के जरिये, देश की अनाज की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। बंजर धरती के इतने बड़े रकबे को खेती-बाड़ी के काबिल बनाने वाला, इसके मुकाबले का कोई दूसरा प्रोजेक्ट देश में नहीं है। इस प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय महत्व को मद्दे-नजर रखते हुए यह महसूस किया गया कि जो रकम राज्य की योजना-सीलिंग में इसके लिए मुहैया की जाती है वह इतनी काफी नहीं होती कि इस प्रोजेक्ट को आसानी से व जल्दी पूरा किया जा सके। इसलिए, भारत सरकार राजस्थान नहर की सेंट्रल ऑथोरिटी (Central-Authority) कायम करने पर राजायन्य है। मगर फिलहाल, १९६५-६६ के बजट में राजस्थान नहर के लिए एहतियातन खर्च का इन्तजाम रखा गया है।

१२. कुछ नये विभागों के खुलने से भी प्रशासन का खर्च बढ़ा है। राज्य में विजिलेन्स कमिश्नर (Vigilance Commissioner) और सिविल डिफेन्स एडवाइज़र मुकर्रर किए गए हैं और उनके लिए जरुरी स्टाफ का इन्तजाम किया गया है। इसके अलावा, सरकारी काम-काज में हिन्दी की प्रगति के लिए एक अलग विभाग कायम किया गया हैं।

(श्री बालकृष्ण कौल)

१३. मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आर० ए० सी० की ज्यादातर यूनिटों का खर्चा अब केन्द्रीय सरकार खुद बर्दाश्त करेगी। इससे राज्य को कुछ वित्तीय राहत मिलेगी।

१९६४-६५ के तारमीमशुदा तखमीने

१४. उन अहम मुद्दों का, जिनका राज्य की माली हालत पर असर पड़ा है, मैंने अभी जिक्र किया। इनसे माननीय सदस्यों को १९६४-६५ के तरमीमशुदा तखमीनों की असलियत समझने में मदद मिलेगी। १९६४-६५ का बजट पेश करते वक्त मैंने बताया था कि नये टैक्स लगाने के बाद भी कुल मिला कर ८७ लाख रु० का घाटा रहेगा। चालू वर्ष में जमीनों की बिक्री और बैटरमैंट-लैवी (Betterment-Levy) से कम आमदनी हुई, और अकाल-राहत के कामों पर काफी अधिक रुपया खर्च हुआ। इन वजूहात को देखते हुए, बजट में करीब ३ करोड़ रु० के घाटे का अन्देशा हो चला था। लेकिन माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी, कि चालू साल के अखीर में सिर्फ ७० लाख रु० का घाटा रहेगा। यह खुशगवार हालत इसलिए मुमकिन हुई कि एक तो केन्द्रीय सरकार के टैक्सों की आमदनी में इज़ाफा हुआ जिससे राज्य सरकार को भी बढ़ा हुआ हिस्सा मिला। दूसरे, आर० ए० सी० पर १-४-६२ से आगे का खर्चा भारत सरकार ने दे दिया।

१५. चालू साल के लिए आमदनी का तखमीना ७३ करोड़ ३२ लाख रु० था। इसमें योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली ४ करोड़ ८३ लाख रु० की सहायता, सीलिंग के बाहर केन्द्रीय योजना-स्कीमों (Centrally Sponsored Schemes) के लिए १ करोड़ ८१ लाख रु० की सब्सिडी और नये टैक्सों में होने वाली ५८ लाख रु० की आमदनी, ये तीनों मदें शामिल थीं। इसके मुकाबले, तारमीमशुदा तखमीना ७५ करोड़ ४६ लाख है। तखमीनों की मुख्तलिफ मदों में कमी-बेशी की तफसील बजट मेमोरेण्डम में बयान की गई है। इससे जाहिर है कि इन मदों में खासी बेशियां होने की संभावना है:—आर० ए० सी० के लिए केन्द्रीय अनुदान—२ करोड़ रु०, अकाल-राहत के लिए केन्द्र से अनुदान—३४ लाख रु०, आय-कर का हिस्सा—६० लाख रु०, एस्टेट ड्यूटी (Estate Duty) का हिस्सा—१४ लाख रु०, और केन्द्रीय योजना-स्कीमों के लिए केन्द्र से ज्यादा अनुदान। खास कमी इन मदों में हुई है: स्टाम्प्स—१५ लाख रुपया, खानें—१३ लाख रु०, जमीनों की बिक्री व बैटरमैंट लैवी—५५ लाख रु०। राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलने वाला ब्याज ७७ लाख रु० पूंजी खाते में दिखाया गया है, और रोडवेज़ से वसूल होने वाली १ करोड़ २८ लाख रु० की रकम बजट में नहीं दिखाई गई है, क्योंकि अब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अलग बन गई है।

१६. वे खर्चा जो राजस्व खाते से होते हैं उन सबका तखमीना ७२ करोड़ ८१ लाख रु० था। इसमें १२ करोड़ ६६ लाख रु० योजना पर, और १ करोड़ ६६

(श्री बालकृष्ण कौल)

लाख रु० योजना के बाहर स्कीमों पर खर्च का था। जहां तक गैर-योजना खर्च का ताल्लुक है यह ५८ करोड़ १६ लाख रु० से बढ़ कर ५६ करोड़ ३ लाख रु० हो गया है। खर्च में बढ़ोत्तरी के मुख्य कारण ये हैं : कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में इज़ाफा, जिसका असर सब विभागों के तारमीमशुदा तखमीनों पर पड़ा है—७० लाख रु०, राज्य की योजना तथा केन्द्रीय स्कीमों पर भारत सरकार की सहायता के मुकाबले ज्यादा खर्च—कृषि पर २५ लाख रु०, पानी सप्लाई योजना पर ६६ लाख रु० और भारत सरकार को अधिक ब्याज १ करोड़ ४२ लाख रु० का भुगतान। खर्चों में जो कमी हुई है वह इन मदों में है : जमीनों की बिक्री व बैटरमेंट लैवी की कम वसूली से पूंजी खाते में कम इन्दराज (Adjustment) —५२ लाख रु०, आर० ए० सी० के लिए भारत सरकार से अधिक वसूली के कारण पुलिस के खालिस खर्चे में कमी —४७ लाख रु०, और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कायम होने की वजह से १ करोड़ २८ लाख रु० की कमी।

१७. खालिस पूंजीगत खर्च का तखमीना २८ करोड़ ६० लाख था, लेकिन तरमीमशुदा तखमीना २८ करोड़ ४८ लाख रु० है।

१८. ऋण खाते (Public Debt) की सूरत यह है कि तमाम भुगतानों के बाद आमद में ३३ करोड़ ६८ लाख रु० की बचत का अन्दाजा था लेकिन तरमीमशुदा तखमीना ३८ करोड़ ६६ लाख रु० है। यह फर्क इसलिए है कि केन्द्र से, बीज व रासायनिक खाद (Fertilsers) खरीदने के लिए २ करोड़ २५ लाख रु० का कम-मीयादी कर्ज ज्यादा, और अकाल के लिए २ करोड़ ४० लाख रु० का कर्ज मिलने की उम्मीद है।

१६. बजट तखमीनों के लेन-देन (Loans & Advances) खाते में खालिस कमी ११ करोड़ ६१ लाख रु० आंकी गई थी, लेकिन तरमीमशुदा तखमीना १५ करोड़ ५६ लाख रु० है।

विधान सभा के सदस्यों की बस रोकने विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइंट ऑफ प्रिविलेज मोशन, अध्यक्ष महोदय, हम सारे एम० एल० एज० की बस को रोक दिया गया और उस वजह से हम बहुत से लोग लेट पहुंच पाये, तो यह हमारा प्रिविलेज है कि सारा भाषण आपका सुनें और भाषण ...

श्री अध्यक्ष ; यह किसी अन्य अवसर पर उठायें तो उचित होगा। (वित्त मन्त्री से) भाषण जारी रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : भाषण सुनने से वंचित रह गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : आर० टी० ओ० से कहा गया कि एम० एल० एज० हैं, सदन को जा रहे हैं और बजट स्पीच सुनने जा रहे हैं, लेकिन

Page No 6

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आर० टी० ओ० ने ध्यान नहीं दिया और १० मिनट तक बस को रोके रखा और माननीय सदस्यों को लेट किया । इसलिए सदन के प्रिविलेज का प्रश्न पैदा होता है ।

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में उठायें उचित तरीके से । मंत्री महोदय भाषण जारी रखें ।

श्री मुरलीधर व्यास : उनका भाषण सुनने को वापिस मिले ।

वित्त मन्त्री का आय-व्यय (१६६५-६६) भाषण

(पूर्व क्रम से)

श्री बालकृष्ण कौल : इस फर्क की खास वजूहात ये हैं कि किसानों को कम-मीयादी कर्ज ज्यादा दिये गये, अनाज खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को उधार रकमें दी गई, और योजना के कामों के वास्ते ज्यादा कर्ज दिये गये ।

२० सार्वजनिक लेखा (Public Account) के बजट में ५ करोड़ १५ लाख रु० की खालिस बाकी का अन्दाजा लगाया गया था, लेकिन अब सिर्फ ५१ लाख रु० की बाकी बचेगी । इसकी दो खास वजूहात हैं । अव्वल तो पिछले साल आये हुए विदेशी गेहूं की कीमत का Debit बिल मार्च, १६६४ के बाद आया और इसकी अदायगी १६६३–६४ के बजाय १६६४–६५ में हुई । इससे २ करोड़ ८५ लाख रु० की जमा कम हो गई । दोयम, अकाल फण्ड से २ करोड़ ७६ लाख रु० ज्यादा खर्च हुआ ।

१६६४–६५ में योजना खर्च

२१ शुरू में योजना कमीशन ने योजना खर्च की सीलिंग ४६ करोड़ २५ लाख रु० मुकर्रर की थी लेकिन बाद में भारत सरकार ने क्रैश प्रोग्राम (Crash Programme) के जरिये कृषि उत्पादन बढ़ाने के वास्ते १ करोड़ ४० लाख रु०, और देहाती इलाकों में पीने का पानी मुहैया करने के लिए ६३ लाख रु० दिया । इससे योजना खर्च की सीलिंग ४८ करोड़ २८ लाख रु० हो गई । इसके मुकाबले, तरमीमशुदा तखमीनों के मुताबित ४७ करोड़ ५१ लाख रु० खर्च होने का अन्दाजा है और सीलिंग के बाहर ४ करोड़ ७० लाख रु० का ।

१६६५–६६ के बजट तखमीने

२२. अब १६६५-६६ के जो बजट तखमीने मैं सदन के सामने रख रहा हूं वे कुछ खास अहमियत रखते हैं । अगला वित्तीय वर्ष तीसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष होगा । चौथा वित्त कमीशन भी एक साल पेश्तर मुकर्रर कर दिया गया है, ताकि चौथी योजना की रूप-रेखा मुकम्मिल करने से पहले, उसकी सिफारिशें केन्द्रीय व राज्य सरकारों के सामने आ जायं । तीसरी योजना में जो खर्चे बंध चुके हैं वे चौथी योजना में कमिटेड (Committed) खर्चे माने जायेंगे और गैर-योजना (Non-Plan) खर्च शुमार किये जायेंगे । इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी वर्ग, संस्थाएं और सहूलियतें १६६५-६६ के अन्त में होंगे, वह तीसरी योजना के कमिटेड (Committed) खर्चे का आधार बन जायेंगे । इस वास्ते

(श्री बालकृष्ण कौल)

१९६५–६६ के नये खर्च मंजूर करते वक्त इस हकीकत का खास लिहाज रखना मुनासिब है । इसके अलावा, चौथी योजना के अर्से में राज्य की आमदनी और गैर-योजना खर्च के तखमीनों पर विचार करते वक्त वित्त कमीशन १९६५-६६ के तखमीनों में आमद-खर्च का हिसाब देखेगा और अपनी सिफारिशें ज्यादातर इन्हीं तखमीनों के आधार पर करेगा ।

१९६५-६६ में राजस्व की वसूली

२३. केन्द्र से टैक्सों का जो हिस्सा और जो अनुदान अभी मिल रहे हैं और चालू दरों पर राज्य टैक्सों से जो आमदनी वसूल हो रही है इन दोनों के आधार पर, १९६५–६६ में राजस्व की वसूली का तखमीना ७९ करोड़ ६८ लाख रु० आंका गया है । इसमें केन्द्रीय सरकार से योजना खर्च के लिए मिलने वाली सहायता का ५ करोड़ ३६ लाख रु०, योजना सीलिंग के बाहर का, ३ करोड़ ५१ लाख रु० और चौथी योजना की अगुआ कार्रवाई (Advance Action) का ६८ लाख रु० शामिल हैं । १९६४–६५ के तखमीनों के मुकाबले १९६५–६६ में इन मदों में इजाफे की उम्मीद है : मालगुजारी-५५ लाख रु०, बिक्रीकर-९२ लाख रु०, जमीनों की बिक्री व बैटरमेंट लेवी—१ करोड़ ६२ लाख रु० । १९६४-६५ के तरमीमशुदा तखमीनों के मुकाबले १९६५-६६ में कुल मिला कर ४ करोड़ १९ लाख रु० के इजाफे की उम्मीद है ।

१९६५–६६ में राजस्व खाते से खर्च

२४. जो खर्चा राजस्व खाते से होता है उसका तखमीना ८६ करोड़ १४ लाख रु० है, और इसमें ये. खर्चे शामिल है, गैर-योजना चालू मदों पर ६४ करोड़ ५ लाख रु० नई गैर-योजना मदों पर २ करोड़ ५२ लाख रु०, योजना कमीशन की तयशुदा योजना स्कीमों पर १५ करोड़ ११ लाख रु० सीलिंग के बाहर ३ करोड़ ७८ लाख रु० और चौथी योजना की अगुआ कार्रवाई (Advance Action) के लिए ६८ लाख रु० । १९६५-६६ के तखमीनों में गैर-योजना खर्च का एक नया विनियोजन (Appropriation) बढ़ गया है, जो १९६४-६५ के तखमीनों में नहीं था । अभी तक जागीरी मुआवजों की अदायगी पूंजी खाते से की जाती है । पूंजी खाते में जमा होने वाला रुपया कर्जों या डिपोजिटों का होता है और इन पर सरकार को करीब ५ फी सदी ब्याज देना होता है । उधर जागीर बाण्डों पर २५ फी सदी ब्याज दिया जाता है । इस देनदारी का बोझ कम करने की गरज से जागीरी मुआवजों के भुगतान के लिए एक सिंकिंग फण्ड (Sinking Fund) चालू करने का प्रस्ताव है । इस फण्ड के लिए राजस्व खाते से २ करोड़ रु० पूंजी खाते में डाला जायगा । इसके अलावा "कर्ज घटाने या बचाने के लिए विनियोग" Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt) इस नाम की मद से पूंजी खाते में २ करोड़ ४८ लाख रु० डाला गया है । इसके मुकाबले १९६४-६५ के तरमीमशुदा तखमीनों में इस मद

(श्री बालकृष्ण कौल)

में १ करोड़ ३५ लाख रु० डाला गया था। चम्बल मण्डियों में और खास कर कोटा में, सड़कों व नालियों की मरम्मत के वास्ते और विकास के दूसरे कामों के लिए एक अलग फण्ड कायम किया जा रहा है और इस फण्ड में ३० लाख रु० मण्डियों में जमीन की बिक्री की आमद में से डाला जा रहा है। सड़कों व इमारतों की मरम्मत के लिए पहले के मुकाबले ५० लाख रु० ज्यादा रखा गया है और पुलिस के लिए १ करोड़ ३१ लाख रु० ज्यादा रखा गया है। १९६४-६५ के मुकाबले गैर-योजना खर्च की सब मदों में इजाफे हुए हैं जो अधिकतर महंगाई-भत्ते की बढ़ोतरी व नये खर्च की वजह से हैं। इनका ब्योरा बजट मैमोरण्डम में दिया हुआ है। खास ध्यान देने योग्य मद ब्याज की है, जिसमें १९६४-६५ के मुकाबले, २ करोड़ २७ लाख रु० बढ़ा है।

राजस्व खाते में घाटा

२५ मौजूदा टैक्सों के आधार पर आमद व खर्च के तखमीनों का जायजा लेने के बाद राजस्व खाते में ६ करोड़ ४६ लाख रुपए का घाटा रहता है।

पूंजीगत खर्च

२६. खालिस पूंजीगत खर्च २६ करोड़ ५० लाख रु० होने का अन्दाजा है। इसमें जागीरी मुआवजों का ५ करोड़ १२ लाख रु०, योजना पर लगाने वाला १८ करोड़ ४४ लाख रु० और सीलिंग के बाहर की योजनाओं का १ करोड़ ६६ लाख रु० शामिल हैं।

ऋण

२७. केन्द्रीय सरकार के कर्जों का भुगतान करने के लिए १७ करोड़ ६५ लाख रु० रखा गया है। इसमें २ करोड़ ५६ लाख रु० कम-मीयादी कर्जों का है। योजना के लिए ३४ करोड़ २४ लाख रु० और सीलिंग के बाहर २ करोड़ ६५ लाख रुपए की सहायता केन्द्र से कर्ज की शक्ल में मिलेगी। ५ करोड़ का राज्य ऋण (Public Loan) लेने की भी तजबीज है। छोटी बचत योजनाओं से १ करोड़ ५० लाख रुपये मिलने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक लाइफ इन्श्योरेंस कार्पोरेशन के कर्जे, व उनके भुगतान का हिसाब लगाने के बाद इस खाते में ३३ करोड़ ७८ लाख रु० खालिस मिलेगा।

इस सिलसिले में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि छोटी बचतों में खालिस जमा बढ़ाने की सख्त जरूरत है। जिस हद तक छोटी बचतों में ज्यादा रुपया जमा होगा उसी हद तक टैक्सों का बोझ हल्का करने में मदद मिल सकती है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि छोटी बचतों की खालिस जमा बढ़ाने का वातावरण बनाने में मदद दें।

लेन-देन खाता

२८. उधार देने के लिए राज्य सरकार ने २० करोड़ ७३ लाख रुपए की खालिस रकम का इन्तजाम रखा है। इसमें से १३

(श्री बालकृष्ण कौल)

करोड़ १२ लाख रु० योजना स्कीमों के लिए व १ करोड़ २० लाख रुपए सीलिंग से बाहर की योजनाओं के लिए दिया जायगा। १९६४-६५ के तरमीमशुदा तखमीनों में उधार-वसूली की रकम ५ करोड़ ४७ लाख रुपए मानी गई थी, लेकिन बेहतर वसूलियों की उम्मीद में १९६५-६६ के लिए यह आंकड़ा ८ करोड़ ११ लाख रु० रखा गया है। इस तरह खालिस खर्च १५ करोड़ ५६ लाख रु० के १९६४-६५ के तरमीमशुदा तखमीने के मुकाबले १२ करोड़ ६२ लाख रु० होगा।

सार्वजनिक लेखा

२९. प्रोविडेण्ट फण्ड, इन्श्योरेन्स फण्ड, सिंकिंग फण्ड, वगैरह में इकट्ठी होने वाली खालिस वसूलियों का हिसाब लगाने के बाद सार्वजनिक लेखा में ९ करोड़ ६८ लाख रु० की बचत का अन्दाजा है।

पूंजी खाते में बचत

३०. ऋण की मद से ३३ करोड़ ७८ लाख रु० और सार्वजनिक लेखा में ९ करोड़ ६८ लाख रु० मिलेगा। पूंजीगत खर्च २६ करोड़ ५० लाख रु० होगा और लेन-देन खाते से १२ करोड़ ३२ लाख रु० खालिस खर्च होगा। इससे पूंजी खाते में ४ करोड़ ३४ लाख रु० बचने का अन्दाज है।

तीसरी योजना के वित्तीय पहलू

३१. १९६५-६६ के बजट तखमीनों से जो नक्शा बनता है, उसकी चर्चा करने से पेश्तर, मैं तीसरी योजना के वित्तीय पहलुओं पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। क्योंकि आने वाला साल तीसरी योजना का आखरी साल होगा। माननीय सदस्यों को याद होगा, कि शुरू में तीसरी योजना पर २३६ करोड़ रु० लगाने का विचार था। इस लागत में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा १५६ करोड़ रु० और राज्य सरकार का ८० करोड़ रु० माना गया था। इसमें राज्य सरकार को ३२ करोड़ रु० के नये टैक्स लगाने थे, २२ करोड़ रु० प्रोजेक्टों के सिंचाई-क्षेत्रों में बैटरमैण्ट लेवी व जमीनों की बिक्री से वसूल करना था और ३० करोड़ रुपये राज्य ऋण व छोटी बचतों से इकट्ठा करना था। १९६१-६२ से १९६४-६५ तक लगाये गये नये टैक्सों की कुल वसूली करीबन २९ करोड़ ७३ लाख रु० होगी। जमीनों की बिक्री व बैटरमैण्ट लेवी से सिर्फ ६ करोड़ ७७ लाख रु० की आमद होगी। राज्य ऋण और छोटी बचतों से भी कुल मिला कर २९ करोड़ ६७ लाख रु० से ज्यादा इकट्ठा हो जायगा। लेकिन, दूसरी तरफ, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर ४ करोड़ ९० लाख रु० खर्च हो गया और अकाल पर १९६३-६४ व १९६४-६५ में ६ करोड़ २८ लाख रु० खर्च हुआ। इसके अलावा, भारत सरकार को ३५ करोड़ रु० के विशेष कर्जों का भुगतान करने के लिए २३ करोड़ ३२ लाख रु० किस्तों का और ३ करोड़ ६३ लाख रु० ब्याज का, दिया जा रहा है। इसके मुकाबले, तीसरे वित्त कमीशन की सिफारिश पर भारत सरकार से ज्यादा अनुदान, व केन्द्रीय टैक्सों का ज्यादा हिस्सा मिला, और हाल ही में,

(श्री बालकृष्ण कौल)

आर० ए० सी० के खर्च की मद में भी अधिक अनुदान मिला है। इन सबका नतीजा यह हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल ४२ करोड़ ३ लाख रु० के साधन मुहैया हो सकेंगे। इन तथ्यों से माननीय सदस्यों को अहसास होगा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए राज्य सरकर को कितनी वित्तीय कठिनाइयों के दौरे से गुजरना पड़ा और साधन बढ़ाने के लिए मुतवातिर जद्दोजहद करनी पड़ी। अब, मौजूदा तखमीनों के आधार पर तीसरी योजना की कुल लागत करीबन २०३ करोड़ ६० लाख रु० होगी।

गैर-योजना खर्च की नई मदें

३२. नये खर्चों की कुल रकम २ करोड़ ८४ लाख रु० होगी जिसमें राजस्व खाते का २ करोड़ ५२ लाख रु० है। इसमें खर्चा का सबसे बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का होगा जो आज एक अहम सवाल की शक्ल में सरकार के सामने है।

इस सवाल पर विचार करते वक्त सरकार को कुछ बजनी मुद्दों का लिहाज रखना पड़ता है। ऊंची कीमतों से सरकारी कर्मचारियों को जो दिक्कतें हैं उनको सरकार पूरी तरह महसूस करती है। लेकिन भत्तों में बढ़ोत्तरी इनका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। बल्कि, इससे भत्तों और कीमतों में लगातार चढ़ाव का एक बेइन्तहा सिलसिला शुरू होता है। पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य के वित्त साधनों पर हद दर्जे का दबाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ आम लोग टैक्सों का भारी बोझा इस उम्मीद में झेल रहे हैं कि किसी तरह राज्य का आर्थिक विकास तेजी से हो जाय। सरकारी कर्मचारियों के मासिक भत्तों में अगर एक एक-रुपया भी बढ़ाया जाय तो पंचवर्षीय योजना के अर्से में करीबन सवा करोड़ का खर्चा बढ़ जाता है। वजह यह है कि यह तरक्की सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं दी जा सकती बल्कि उन सब पर लागू होती है जो इसके मुस्तहक हैं; यानी पंचायत समितियों के कर्मचारी, सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और मुख्तलिफ विभागों के वर्क-चार्ज्ड (Work charged) कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां।

३३. कर्मचारियों के भत्तों में तरक्की से साथ-साथ, सरकार यह जांच पड़ताल भी करना चाहती है कि काम के घंटों, काम की मिकदार, योग्यताएं भर्ती व तरक्की के तरीकों, वगैरह में क्या सुधार किये जा सकते हैं। इसके अलावा, इस बात की भी जरूरत महसूस की जा रही है कि अनुशासन, काम की रफ्तार, और कार्यकुशलता के स्तर बढ़ाये जायं, और इसके लिए मुनासिब कदम उठाये जायं। भत्तों में बढ़ोत्तरी तभी आसान होती है जब कार्यकुशलता बढ़े ताकि कुल मिलाकर काम की मिकदार और वेतन-भत्तों में संतुलन रहे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में तरक्की का मतलब यह है कि या तो योजना की लागतों में कटौती की जाय या फिर टैक्स बढ़ाये जायं। इसमें शक नहीं कि अपने

(श्री बालकृष्ण कौल)

कर्मचारियों का ख्याल रखना सरकार का फ़र्ज है, लेकिन कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में आम आदमी का ख्याल रखना भी उतना ही अहम फ़र्ज है। मौजूदा हालत में सीमित साधनों से इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा निभाना कठिन है।

३४. वक्त का यह भी तक़ाज़ा है कि देश के निर्माण के लिए पढ़े-लिखे नौजवानों को शिक्षा, दस्तकारी, तकनीकी या दूसरे उपयोगी व्यवसायों की तरफ जाना चाहिए। मगर ताज्जुब की बात है कि ज्यादातर नौजवान क्लर्की की नौकरियों में भर्ती होते हैं। इसकी वजह शायद यह है कि क्लर्की में दूसरे व्यवसायों के मुकाबले मेहनत कुछ कम हैं और सहूलियतें कुछ ज्यादा हैं। मगर मुल्क की तरक्की के लिए इस रुख और इस धारणा को बदलना निहायत जरूरी है।

३५. इन सब हालत पर गंभीरता से गौर करने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन्सानियत की निगाह से इस सवाल को ओझल नहीं किया जा सकता। इसलिए, राज्य कर्मचारियों को कुछ राहत देने का फैसला किया गया है। राज्य की माली हालत को देखते हुए, इससे ज्यादा राहत देना फिलहाल मुमकिन नहीं है।

३६. (i) वेतनों के रिवाइज्ड स्केलों में जिन कर्मचारियों को १५० रु० मासिक या इससे कम वेतन मिलता है उनको कुल २५ रु० माहवार मंहगाई भत्ता दिया जायगा।

(ii) जिनको १५० रु० से ५४० रु० तक के मासिक वेतन मिलते हैं उनको कुल ३५ रु० माहवार मंहगाई भत्ता दिया जायगा।

(iii) जिनके वेतन ५४० रु० मासिक से ज्यादा हैं उनका मंहगाई भत्ता उस फर्क के बराबर होगा जो उनके वेतन और ५७५ रु० के बीच हो।

(iv) मंहगाई भत्ते की ये नई दरें १ मार्च, १९६५ से लागू होंगी।

(v) सरकारी मकानों का किराया, मकान किराया भत्ता, बच्चों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा, वगैरह, फायदों के लिए ४०० रु० मासिक से ऊपर वेतन पाने वालों को 'कम वेतन वाला' नहीं माना जायगा।

३७. महंगाई भत्ते में इस इजाफे का लाभ करीबन पौने दो लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए मुख्तलिफ विभागों के बजट तख़मीनों में जरूरी रकमों का प्रावधान कर दिया गया है। नई दरों पर कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने में हर साल १ करोड़ २२ लाख रु० खर्च होगा। इसके अलावा, १५ लाख अनुदान सहायता के लिए रखा गया है।

१९६५-६६ की सालाना योजना

३८. १९६५-६६ की योजना सीलिंग ४६ करोड़ ९० लाख रु० रखी गई है। इसमें १५ करोड़ ३४ लाख रु० (gross) राजस्व खाते का और १८ करोड़ ४४ लाख रु० पूंजी खाते का है और १३

(श्री बालकृष्ण कौल)

करोड़ १२ लाख रु० सरकार की तरफ से उधार दिया जायगा । १९६५-६६ की योजना के खर्च में ३९ करोड़ ६० लाख की केन्द्रीय सहायता शामिल है । योजना कमीशन को बता दिया गया था कि योजना के लिये राज्य अपने साधनों से ६ करोड़ ८० लाख रु० मुहैया कर सकेगा । इस तरह राज्य के कुल साधनों का जोड़ ४६ करोड़ ४० लाख रु० होता है और ५० लाख की कमी रह जाती है । लेकिन केन्द्र से कुछ ज्यादा सहायता मिलने और सीलिंग में कुछ हेर-फेर होने की उम्मीद है, जिससे अन्त में, साल के दौरान, यह कमी दूर हो जायगी । सीलिंग के बाहर योजना-स्कीमों पर कुल खर्च ७ करोड़ ३७ लाख (gross) होगा, जिसमें ६८ लाख चौथी योजना की अगुआ कार्रवाही का शामिल है ।

सामाजिक सुरक्षा व उन्नति

३९. योजना स्कीमों के बाद अहमियत में दूसरा नम्बर उन कार्यवाहियों का है जो सामाजिक सुरक्षा और उन्नति से ताल्लुक रखती हैं । इस सिलसिले में मैं माननीय सदस्यों को सामाजिक हितों के उन उद्देश्यों की याद दिलाना अपना फर्ज समझता हूं, जिन्हें हासिल करने के लिए हमने पिछले साल कुछ कदम उठाये थे । उसी रास्ते पर अब कुछ कदम और आगे बढ़ने का इरादा किया गया है ।

(i) १–४–६४ को या उसके बाद रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली कम से कम पेन्शन २५ रु० माहवारी हो गई है । लेकिन इस तारीख से पहले रिटायर होने वालों को इससे कुछ कम पेन्शनें मिलती हैं । १९५२ में रिटायर हुए कर्मचारियों में कम से कम पेन्शन पाने वाले को २२.७५ रु० मिलते हैं । अब १–४–६५ से राजस्थान सरकार के तमाम पेन्शनरों की कम से कम पेन्शन को बढ़ाकर ३० रु० मासिक करने की तजवीज़ है । इस इज़ाफे का फायदा उन पेन्शनरों को मिलेगा जो रिटायरमेंट की उम्र पर रिटायर हुए हैं या होंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : या जो मर चुके हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : (ii) अगर बूढ़े पति-पत्नी दोनों बे-आसरा हों तो वृद्धावस्था (Old Age) पेन्शन नियमों के मुताबिक उनको २५ रु० मासिक पेन्शन दी जा सकती है । १–४–६५ से इस पेन्शन को बढ़ाकर ३० रु० मासिक करने की तजवीज है ।

(iii) स्वाधीनता से पहले कुछ लोग, जो उस वक्त के सिन्ध, उत्तर-पच्छिमी सीमा प्रान्त और खैरपुर रियासत की सरकारी नौकरियों में थे, वे इन इलाकों से पाकिस्तान में शामिल होने पर, पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान की सरकारी नौकरियों में ले लिये गये थे । ऐसे कर्मचारियों के बारे में सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान की नौकरी में इनकी पुरानी नौकरियों का अर्सा जोड़ कर इनको आरज़ी पेन्शनें दी जायं । अभी तक यह फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा था जो पुनर्गठन से पूर्व

(श्री बालकृष्ण कौल)

के अजमेर राज्य की नौकरियों में ले लिये गये थे, क्योंकि अजमेर राज्य के पेन्शन नियम केन्द्रीय सरकार के पेन्शन नियमों के मुताबिक थे ।

(iv) यह भी फैसला किया गया है कि जो बे-आसरा बालिग, अपाहिज या अन्धा होने के कारण या किसी पैदायशी अपंगपन की वजह से रोजी कमाने में बिल्कुल असमर्थ हो उसे २० रु० माहवारी पेन्शन दी जाय ।

(v) स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है लेकिन फिर भी इस मामले में हमारा राज्य अभी बहुत पिछड़ा हुआ है । इसलिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से यह तय किया गया है कि १९६५-६६ के स्कूली साल से, लड़कियों के सहायता प्राप्त कॉलेजों और हायर सेकेन्डरी दर्जे तक के स्कूलों को अनुदान सहायता देने में फीसों की आमदनी को हिसाब में नहीं लिया जायगा, ताकि लड़कियों के सहायता प्राप्त कॉलेज व स्कूल, फीस बिल्कुल हटा दें या कम कर दें ।

राजस्व खाते के घाटे में पूर्ति

४०. मैं बता चुका हूँ कि मौजूदा टैक्सों के आधार पर राजस्व खाते में ६ करोड़ ४६ लाख रु० का घाटा रहेगा । बन्दोबस्त विभाग की लगान-दर सम्बन्धी कुछ रिपोर्टों पर अभी गौर किया जा रहा है । इनका फैसला होने पर अन्तिम आदेश जारी होने के बाद उम्मीद है कि इस घाटे में करीब ८ लाख रु० की पूर्ति हो जायगी । खेतिहर जमीनों के अलॉटमेंट के बारे में नियम बन जाने पर करीब १० लाख रु० और पूरा हो जायगा । उन्हें हिसाब में लेने के बाद ६ करोड़ २८ लाख रु० का घाटा बच रहेगा ।

नये टैक्स

४१. जाहिर है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए नये साधन तलाश करना जरूरी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चिलमन उठायें ।

श्री बालकृष्ण कौल : इस सिलसिले में मैं उसी बात पर फिर जोर देना चाहता हूं जिसकी चर्चा पहले भी कई दफा कर चुका हूं । वह यह कि नये टैक्सों के जरिये और ज्यादा साधन जुटाने के मामले में हमारे राज्य की सामर्थ्य, संविधान की पाबन्दियों, पक्के माल पर केन्द्रीय महसूलों और अर्थ-व्यवस्था की आम हालत, इनके दायरों से घिरी हुई है । इसके अलावा राज्य के अन्दर उद्योगों के विकास के स्तर को, कुल भारत के औसत स्तर तक पहुंचने में समय लगेगा । राज्य का विशाल आकार भी इसकी असंतुलित अर्थ-व्यवस्था को और ज्यादा उभारता है । मगर नये साधन तो खोजने ही हैं, क्योंकि अव्वल तो हमको अपने विकास कार्यों की रफ्तार कायम रखनी है, दोयम, राज्य कर्मचारियों के लिए

(श्री बालकृष्ण कौल

जिस राहत का मैंने अभी ऐलान किया है उसका खर्च भी पूरा करना है। इसलिये कुछ नये टैक्सों से बचने की कोई तदवीर नजर नहीं आती। इस भूमिका के साथ मैं अगले साल लगाये जाने वाले नये टैक्सों की तजवीजें पेश करता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह उम्मीद थी आपसे।

श्री बालकृष्ण कौल : (i) राजस्थान यात्री व माल-भाड़ा कर

भाड़े की ट्रकों के टैक्स की एकमुश्त सालाना रकमों में २५ फी सदी इज़ाफ़ा करने की तजवीज है। यह इज़ाफ़ा आरज़ी परमिटों वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। इस इज़ाफ़े से १६ लाख की ज्यादा आमदनी की उम्मीद है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह तो ठीक है।

श्री बालकृष्ण कौल : ठीक है, साहब।

टैम्पो, टैक्सी, मोटर गाड़ियों वगैरह की एकमुश्त सालाना वसूली में ५० फी सदी बढ़ोतरी की जायगी। इससे १ लाख रु० की आमदनी बढ़ेगी। छोटे स्कूटर रिक्शों के टैक्स में कोई इज़ाफ़ा नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): टैम्पों वाले तो वही हैं, और कौन हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : (ii) मनोरंजन कर :

राज्य में मनोरंजन कर की दरें दूसरे राज्यों की दरों के मुकाबले में काफी नीची हैं। इन्हें करीब-करीब बराबरी पर लाने की ग़रज़ से दरों के ढांचे में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। नई दरें इस मुताबिक होंगी...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपूर): आप सिनेमा देख आये कल ?

श्री बालकृष्ण कौल : खेल के १ रु० तक के टिकट पर मनोरंजन कर ४० फी सदी; २ रु० तक के टिकट पर ५० फीसदी; २ रु० से ऊपर के टिकटों पर ६० फी सदी। इस उपाय से १३ लाख रु० की ज्यादा आमदनी की उम्मीद है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): बहुत अच्छे !

श्री बालकृष्ण कौल : (iii) मोटर स्पिरिट टैक्सेशन कानून

श्रीमन्, अभी हाई-स्पीड व लाइट डीज़ल तेलों पर टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। यह भेद रखना जरूरी नहीं है। इसे मिटाने के लिये दोनों किस्म के डीज़ल तेलों पर ७ पैसे फी लिटर की दर से एक-समान टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इस उपाय से ३ लाख रु० की ज्यादा आमदनी की उम्मीद हैं।

(iv) अफीम पर खरीदकर

राजस्थान बिक्रीकर कानून में अभी अफीम पर कोई टैक्स नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : काहे पर ?

श्री बालकृष्ण कौल : अफीम पर !

राज्य में अफीम काफी मिकदार में तैयार होती है और बाहर भेजी जाती है। यह कोई राजमर्रा की जरूरत की चीज नहीं है और इस पर टैक्स लगाया जा सकता हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अफीमची से दुनिया घबराती है।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए अफीम पर टैक्स की छूट खत्म की जायगी और १० फीसदी की दर से खरीद-कर लगाया जायगा। इस साधन से १६ लाख रुपये की ज्यादा आमदनी की उम्मीद है।

श्री रघुनाथसिंह विश्नोई (सांचोर) : यह ठीक हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह ठीक है साहब।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : शराब के ऊपर की ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : शराब भी आ रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : (v) बिक्र-कर :

बिक्री-कर की दरों के ढांचे पर दुबारा गौर करने के बाद और टैक्सों की चोरी रोकने के लिए दवाओं पर बिक्री-कर की दर २ फी सदी से बढ़ाकर ४ फीसदी की जा रही हैं, और हाथ से बने बरतनों पर बिक्री-कर की मौजूदा छूट खत्म की जा रही है। इन उपायों से १० लाख रु० के करीब ज्यादा आमदनी की उम्मीद है।

(vi) रजिस्ट्री शुल्क

रजिस्ट्रेशन शुल्कों की मौजूदा फहरिस्त में रद्दोबदल की जा रही है और कुछ मदों के लिए ऊंची दरें मुकर्रर की जा रही हैं। इससे दो लाख रु० ज्यादा मिलेगा।

(vii) स्टाम्प महसूल :-

स्टाम्प महसूल की दरों में कुछ ही दिन पहले रद्दोबदल की गई थी और फिलहाल इन्हें बढ़ाने की गुंजायश नहीं है। लेकिन इस महसूल की आमदनी का अन्दाजा पूरा नहीं हुआ। फिर भी, मिल्कियतों की कीमतें कम बता कर स्टाम्प महसूल बचाने की हरकतों पर रोक लगाना जरूरी है। इसलिए स्टाम्प कानून से कुछ तब्दीली करने का विचार है। इसके वास्ते अलग से विधेयक पेश किया जायगा। इस उपाय से इस मद में १२ लाख रु० की आमदनी बढ़ जायगी।

श्री रघुनाथसिंह विश्नोई : यह मारे गए।

श्री बालकृष्णकौल : (viii) आबकारी :-

देशी शराब की मुख्तलिफ किस्मों पर आबकारी महसूल बढ़ाया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस पर।

श्री बालकृष्ण कौल : देशी शराब की मुख्तलिफ किस्मों पर आबकारी महसूल

(श्री बालकृष्ण कौल)

बढ़ाया जा रहा है। कुछ किस्म के लाइसेंसों पर आबकारी कानून के मातहत शुल्कों की दरों को भी ठीक-ठाक किया जा रहा है। इन उपायों से अगले साल ५५ लाख रु० की ज्यादा आमदनी की उम्मीद है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो-चार करोड़ कर देवें न आप।

श्री बालकृष्ण कौल : (ix) साहूकारा कानून:-

साहूकारा कानून के मातहत शुल्कों की एक फहरिस्त बना दी गई है। इससे ७ लाख रु० की ज्यादा आमदनी होगी।

कुवों के इन्तकाल (हस्तान्तरण) पर सनद शुल्क

बहुत से सरकारी कुवे खातेदारों की जमीनों में हैं जिनसे वे अपनी काश्त में फायदा उठाते हैं। इन कुवों से सरकार को कोई सीधा फायदा नहीं है, इसलिये इनकी मिल्कियत उन्हीं खातेदारों को मुन्तकिल कर दी जायगी। कुवों के इस इन्तकाल (Transfer) पर सनद शुल्क वसूल करने की तजवीज है। इस सिलसिले में यह सफाई देना मुनासिब है कि जो कुवे गांव के सारे समुदाय के उपयोग में आते हैं उन्हें किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए हरगिज मुन्तकिल नहीं किया जायगा। सनद शुल्क से कुल मिलाकर करीब २० लाख रु० की आमदनी होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्या कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह उल्टा कर रहे हैं।

४२. **श्री बालकृष्ण कौल** : उमीद है कि इन तमाम उपायों से कुल मिलाकर करीब १ करोड़ ५५ लाख की आमदनी के नये साधन पैदा हो जायेंगे।

आखिरी सूरत

४३. १ करोड़ ५५ लाख रु० के नये कर लगाने और १८ लाख रु० मालगुजारी में अधिक शामिल करने के बाद राजस्व खाते का ६ करोड़ ४६ लाख का घाटा कम होकर ४ करोड ७३ लाख रह जायगा। माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि पूंजी खाते में ४ करोड़ ३४ लाख की बचत का तखमीना है। इसलिये राजस्व और पूंजी खाते का खालिस घाटा सिर्फ ३९ लाख रु० रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि योजना के साधनों के अन्दर ५० लाख की कमी रहती है। लेकिन ख्याल है कि यह कमी, बचत और भारत सरकार से अधिक सहायता प्राप्त होने पर बिलकुल पूरी हो जायगी। मुझे विश्वास है कि ३९ लाख के घाटे के बजाय अन्त में ११ लाख की बेशी रहेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरप्लस।

४४. **श्री बालकृष्ण कौल** : समापन अपना भाषण खत्म करने से पहले मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि

Page No 17

(श्री बालकृष्ण कौल)

सरकार ने यह फैसला किया है कि जिला परिषद के प्रमुखों व पंचायत समिति के प्रधानों के भत्ते में ५० रु० माहवार बढ़ा दिया जाय। हाल ही में पंचायतों के चुनाव जिस आरास्तगी से हुए हैं और देहात की जनता ने उनमें जो दिलचस्पी दिखाई है, उससे भरोसा और बढ़ता है कि लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण की ये संस्थाएं, राज्य के चौमुखी विकास का कर्मठ साधन बन सकती हैं। इन संस्थाओं के जरिये अनाज की पैदावार बढ़ाने और गांवों का विकास करने का काम तेजी से तभी पूरा हो सकता है, जब प्रधान और प्रमुख अपना ज्यादातर समय और शक्ति इधर लगायें।

४५. सरकार का यह भी इरादा है कि राजस्थान विधान सभा सदस्यों के वेतन में ५० रु० माहवार बढ़ा दिया जाय...

(करतल-ध्वनि)

विधान सभा सदस्यों के वेतन वृद्धि का आय-व्ययक भाषण में समावेश विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा (नसीराबाद): नो! नो!!

श्री बालकृष्ण कौल: जिसके लिए अलहदा कार्रवाई की जायगी।

श्रीमान्.........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): This portion should be deleted from the speech of hon. Finance Minister. मैं, अध्यक्ष महोदय, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नाते मूव करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने इस प्रकार का भाषण देकर मेम्बर्स के सामने एक प्रकार से......

श्री बालकृष्ण कौल: यह कोई कन्क्लूड नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: मेम्बर्स को डिमोरेलाइज़ किया है और उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर आघात किया है। आपने अपने भाषण में उल्लेख किया, मेम्बर्स के वेतन बढ़ाने का। आप बढ़ाने वाले नहीं हैं। वेतन बढ़ायेंगे तो मेम्बर वेतन बढ़ायेंगे और इस विधान सभा में लेजिस्लेशन पास करेंगे। एक तरफ तो जनता पर टैक्सल गाए जाय और टैक्स लगाने की बात के साथ मेम्बर्स के वेतन बढ़ाने की बात कहकर मेम्बर्स को टेम्प्ट करें, यह हाउस की इन्सल्ट की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच के इस हिस्से को डिलीट किया जाय और नहीं करते हैं तो मेम्बर्स इस हिस्से को डिलीट किया हुआ मानकर चलें। हम ऐसी इन्सल्ट कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री बालकृष्ण कौल: आपको (अध्यक्ष महोदय) व्यवस्था देनी है।

श्री भैरोंसिंह: मैं समझता हूं कि इसमें मेम्बर्स की इज्जत का सवाल है, जिसे दिन दहाड़े लूटने की कोशिश की गई है। हम आपका प्रोटेक्शन सीक करते हैं। आप इन वर्ड्स को डिलीट करायें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रीफ ऑफ प्रिविलेज का मसला ओरल्ली उठाया जा सकता है, इसलिए यह ऐसे विषय पर उठाया गया है जो सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा और सदन की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है । आज हाउस में माननीय वित्त मंत्री के भाषण के बाद में सदन की हाउस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और उसमें क्या सुविधा बढ़ाई जायं उस पर विचार करने के लिए कहा गया है । उसके पहले ही वित्त मंत्रीजी सदन में घोषणा कर दें कि पचास रुपए वेतन में बढ़ाने का फैसला किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा के सदस्य सरकार के नौकर नहीं हैं कि आप उनके वेतन को बढ़ाने की घोषणा करें । विधान सभा के सदस्य अपना भत्ता स्वयं तय करते हैं, कमेटी तय करती है-चाहे तो बढ़ा सकती है-चाहे तो घटा सकती है-वह अलग प्रश्न है। लेकिन सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह विधानसभा के सदस्य सरकार के नौकर नहीं हैं और उनको इस तरह ट्रीट करना उचित नहीं है । इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप अपने इन दो सेन्टेन्सेज़ को वापस ले लें, अथवा हम वित्त मंत्री के भाषण को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । इस अंश के बाद जो भाषण आप देने वाले हैं हम उसको सुनेंगे नहीं इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप इन दो सेन्टेन्सेज़ को डिलीट कर दीजिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय. मैं समझता हूं कि इस सदन की एक कमेटी है बाकायदा बनी हुई जो कि सदस्यों के वेतन और साधन सुविधाओं के बारे में निश्चित करती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस समिति की कोई सिफारिश आए बगैर सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी कदम उठाने की घोषणा करना अनुचित है. प्रिमेच्योर है, अनावश्यक है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले, इससे पूर्व भी एक बार पचास रुपए मासिक सदस्यों के बढ़ाए गए थे, हमने उस बात का उस वक्त भी विरोध किया था कि जब कि राज्य के वित्तीय साधनों को देखते हुए राज्य के कर्मचारियों के·······

श्री बालकृष्ण कौल : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ·· ····

श्री रामानन्द अग्रवाल : वेतन बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो किस प्रकार· ऐसा करना उचित होगा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जाय ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् मुझे अफसोस है कि जो मेरी भावनाएं नहीं थीं उनसे ज्यादा कुछ माननीय सदस्यों ने समझ लिया । जो मेरा बजट सामने आ रहा है, इस सदन के सामने उसी बारे में कुछ आपके सामने रख रहा हूं ······

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं····

श्री बालकृष्ण कौल : मान लिया, आपने भी वही कहा जो अभी कहा गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक मिनट के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी को यह तो अधिकार है कि बजट के सम्बन्ध में जो संक्षेप में उचित समझें वह सदन के सामने रख दें। लेकिन सदन के सदस्यों को भी, मेरे ख्याल में, अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। अगर इस संबंध में, सदन के सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने का प्रावधान लाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी विचार रखते हैं तो मेरे ख्याल में यह सदन का अपमान है और उधर के सदस्य तो अपने वेतन में वृद्धि होने के सम्बन्ध में प्रावधान की बात पर करतल-ध्वनि करते हैं यानी उसको उचित समझते हैं·······

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह आपका फरमाना गलत है। हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप यह समझते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : यह बात गलत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हमने 'नो' कहा है।

श्री फूलचन्द जैन : हम शांत रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको स्वीकार करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बोलते क्यों नहीं हो फिर ?

श्री फूलचन्द जैन : आपको दूसरों के बारे में कहने का हक नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप अपनी भावना व्यक्त करें। हमारे लिए·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे साथ विरोध करें, अगर नहीं चाहिए पचास रुपए तो·······

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे लिए कुछ नहीं कह सकते आप।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हियर, हियर कीजिए।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर·······

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर·······

श्रीमती नगेन्द्रबाला : पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोतीलाल जी से पहले वह महिला बोलेंगी।

(१२ मध्यान्ह)

श्रीमती नगेन्द्रबाला : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ऐसा है कि मैं इस चीज को थोड़ा साफ कर दूं। श्री भैरोंसिहजी ने कहा उनकी बात को सबने माना और जब वित्त मंत्रीजी ने इस बात का उल्लेख किया उस समय ही यहां से श्री ज्वाला प्रसाद जी ने और मैंने स्वयं ने इसके विरोध स्वरूप जोर से ना कहा और उसको श्री भैरोंसिंह जी ने बल दिया और जब माननीय सदस्य ने कहा तो हम नहीं चाहते थे कि कि अलग अलग विचार रख कर सफाई

Page No 20

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

की जाये। जब एक चीज को सदन ने एक राय से माना तो यह कहना बहुत गलत होगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या हाउस की प्रोसीडिंग्ज् के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्यों के बारे में इस तरह के आक्षेप लगा सकते हैं ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य एक अपोजीशन पार्टी के नेता हैं और दूसरी पार्टी के मेम्बरों के लिए इस तरह का आक्षेप लगाया जाये और जब कि हमने कभी नहीं कहा और न कभी चाहा। सन् ५२ से आज तक हमारी पार्टी के किसी भी मेम्बर ने ऐसा कभी नहीं किया और यह चार्ज लगाया जाये, उचित नहीं है। इसलिए उनकी बातों को प्रोसीडिंग्ज् से डिलीट किया जाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय मैंने....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसको विथ्ड्रॉ किया जाये। मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता से कहूंगा कि वे विथ्ड्रॉ करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर सदस्यों को यह बात अखरती है तो मैं वापिस लेने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विरोधी पक्ष के नेता ने कहा वह अक्षरशः सत्य था। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वे हमें ५० रु० का टुकड़ा फेंकना चाहते हैं हम इसको एक्सेट भी करते तो अब नहीं करेंगे। हम कभी तनख्वाह में वृद्धि नहीं चाहते। आप छोटे लोगों की तनख्वाह बढ़ायें और हम नहीं चाहते कि आप एम० एल० ए० की तनख्वाह बढ़ायें। आज हाउस कमेटी की मीटिंग भी इसीलिए चलाई गई है कि हम किस प्रकार से अपनी कॉन्स्टीटुए न्सीज़ में इफेक्टिव हो सकें और इसके साधनों के लिए प्रयत्न कर सकें। परन्तु वित्त मंत्रीजी की जो भावना है वह इसलिए है कि वित्त मंत्रीजी खुद अपने लोगों की तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं और इस तरह की बातें करके चलना चाहते हैं, हम इसके विरुद्ध हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे २-३ वाक्यों से कुछ माननीय सदस्यों को चोट लगी। मेरा इरादा उनको बिल्कुल चोट पहुंचाने का नहीं था और न उनको किस तरह से ह्युमियेलिट करने का था। मैंने तो जो जो चीजें बजट मेमोरेन्डम में दिया हुआ है उसमें जो छपा है उसका एक साधारण तरीके से जिक्र किया है। मैं देने वाला कोई नहीं हूं। इसमें अगर आप लफ्जों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि मैंने सिर्फ एक प्रावधान,

(श्री बालकृष्ण कौल)

की ओर इशारा किया है। करने वाले तो आप खुद हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हम इशारेबाजी नहीं चाहते।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर इस हाउस के माननीय सदस्यों को एतराज है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसको वापिस लेने में।

(हियर, हियर)

मेरी तो वचत है, यदि आप नहीं चाहते हैं तो।

श्रीमान् मैंने सदन के सामने...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के भाषण के कुछ पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं। उन्होंने डिलीशन को स्वयं ने स्वीकार कर लिया है और हाउस ने अपनी अनुमति भी दे दी है।

फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच की एक सेंक्टीटी मानकर चलते हैं उसमें किसी प्रकार का डिलीशन या एडीशन इस हाउस में तत्काल नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप गलत अर्ज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं गलत अर्ज करता हूं तो आप मुझे मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस दे दें, तो मैं आपको उदाहरण पेश कर दूंगा कि यदि फाइनेन्स मिनिस्टर की किसी स्पीच में किसी प्रकार का डिलीशन या एडीशन....

श्री अध्यक्ष : डिलीशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह सदन की परम्परा नही रही है कि बजट भाषण में इस प्रकार से बहस की जाये।

श्री भैरोंसिंह : बहस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बहस जारी करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी आपत्ति हो उसका अलग से प्रस्ताव लायें तो विचार किया जा सकता है। लेकिन स्पीच को रोका जाय, ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती।

श्री भैरोंसिंह : स्पीच से हाउस की इन्सल्ट की जाये फिर ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हम यह मान कर चलें कि जो बजट में प्रोवीजन है वह डिलीट कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने सदन की भावनाओं का आदर करते हुए वापिस ले लिया; इससे ज्यादा संतोष और क्या होगा ? इसका जो कुछ भी परिणाम हो माननीय सदस्यों के देखने की बात है कि क्या परिणाम निकल सकते हैं, उस पर और

Page No 22

(श्री अध्यक्ष)

कभी विचार किया जा सकता है, पर अभी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनिट सुन लें। ५० रु० प्रति सदस्य के बढ़ाने के कारण जो बजट के एस्टीमेट्स थे वे इस पोर्शन के डिलीट करने से डिस्टर्ब हुए हैं और बजट की सेंक्टिटी नहीं रही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि आप रेगुलर स्पीच के स्तर पर बहस करने लग गये तो यह कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब बजट पेश हो उस समय आप यथा-समय आपत्ति उठा सकते हैं और उसका जो भी परिणाम निकले वह दूसरी बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सदस्यों के संबंध में ओनरेरियम बढ़ाने की घोषणा की थी वह इसमें स डिलीट समझा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कोई क्लेरीफिशन की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि माननीय सदस्यों ने जिस पर आपत्ति उठाई थी वह चीज वापिस लेते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल भाषण से वापिस लेते हैं या बजट प्रोवीजन से वापिस लेते है।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ परिणाम होंगे उनके ऊपर बाद में विचार कर लेंगे।

वित्त मंत्री का आय-व्ययक भाषण

(पूर्व क्रम से)

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने सदन के सामने राज्य की माली हालत का साफ-साफ नक्शा खींचने की कोशिश की है जिसका, लुब्बे लुआब यह है कि आने वाले वर्ष की स्थिति आशाप्रद है और हम सब हौसले के साथ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। इस सिलसिले में मैं वह 'शेर' आपको याद दिलाना चाहता हूं जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू अक्सर दोहराया करते थे:—

इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें,
गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले।

४७. इन शब्दों के साथ, मैं १९६५-६६ के वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता हूं।

(१२.०८ म. प.)

पुर : स्थापित विधेयक

(क) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No 23

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूं।

(ख) राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक ८ मार्च, १९६५ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १२ बजकर १० मिनट पर सोमवार, दिनांक ८ मार्च, १९६५ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि–पत्र

(शनिवार, दिनांक ६ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१८१०	शीर्षक	६ मार्च, ५६	६ मार्च, ६५
,,	२०	सेंट्रण्ल	सेंट्रल
,,	२१	राजायन्य	रजामन्द
,,	अन्तिम पंक्ति	गया हैं ।	गया है ।
१८११	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	आय-व्ययक ६५-६६ की प्रस्तुति एवं आय-व्ययक भाषण
१८११	६	तारमीमशुदा	तरमीमशुदा
१८१४	२२	श्री अध्यक्ष; यह किसी अन्थ	श्री अध्यक्ष : यह किसी अन्य
१८१८	११	कार्रवाई	कार्यवाही
,,	२८	कजं	कर्ज
१८१९	शीर्ष	(श्री बालकृष्ण कौल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
,,	२१	धाटा	घाटा
१८३१	शीर्ष	(श्री बालकृ'ण कौल	(श्री बालकृष्ण कौल)
१८३२	८	जयपूर	जयपुर
१८३७	२२	श्री ज्वालाप्रशाद	श्री ज्वालाप्रसाद
१८३८	१५	टैक्सल गाये	टैक्स लगाये
१८३९	शीर्षक	धेतन	वेतन
१८३९	,,	६ मार्च, ६४	६ मार्च, ६५
१८४१		धेतन	वेतन
१८४३	,,	बेदन	वेतन
१८४६	११	नही	नहीं
१८४८	शीर्षक	६ मार्च, ६४	६ मार्च, ६५
,,	१९	विधियां	विधियां
,,	२०	विघेयक	विधेयक